न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या–382/18

सन्तराम––––बनाम–––– बृजमोहन

निस्तारण प्रार्थना पत्र 45 क 1

दिनांक–27.07.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 45 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र 45 क 1 प्रार्थी संतलाल द्वारा अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने पूर्व में उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी फरीक मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना 29 क 1 प्रस्तुत किया था जो प्रार्थी की अनुपस्थिति में श्रीमान् जी द्वारा दिनांक 01.02.2021 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को रिकाल करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भूलवश 01.02.2021 के स्थान पर दिनांक 11.02.2021 लिखा गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में रिकाल प्रार्थना पत्र में संशोधन करने की याचना प्रार्थी द्वारा की गयी है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 47 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया है कि संशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी सन्तलाल अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा०दी० विधितः संधार्य नहीं है। मूलवाद में या अन्य मुकदमें में मात्र पक्षकारो को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 जा०दी० के अन्तर्गत अपने कथन में संशोधन कर सके। प्रार्थना पत्र संशोधन सन्तलाल महज मुकदमें को विलम्बित करने के लिये दी गयी है। उपरोक्त के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी संतलाल द्वारा रिकाल प्रार्थना पत्र में संशोधन हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या 45 क 1 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने रिकाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भूलवश 01.02.2021 के स्थान पर दिनांक 11.02.2021 लिखा गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्याय की यह मंशा है कि किसी भी वाद में सभी विवाद्यक प्रश्न का एक साथ निस्तारण किया जाए। वाँछित संशोधन से रिकाल प्रार्थना पत्र 43 ग 2 के निस्तारण में सुगमता होगी। उपरोक्त संशोधन से वाद की बहुलता को रोका जा सकता है। पत्रावली सन् 2018 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। वादी द्वारा जो आपत्ति की गयी है वह औपचारिक प्रकृति की है। जहाँ तक विलम्ब से हुयी क्षति का प्रश्न है तो इसकी भरपाई हर्जे पर सम्भव है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुण दोष पर पूर्ण व अन्तिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं० 45 क 1 100/– रूपये हर्ज पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 45 क 1 100/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपने रिकाल प्रार्थना पत्र कागज सं०–43 ग 2 में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तराण प्रार्थना पत्र कागज सं०–43 ग 2 दिनांक–27.08.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड यू०पी० 2520

Digitally signed by Ajay Kumar Mishra
Date: 2021.07.29 16:00:15 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court